मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

//विज्ञप्ति//

क्रमांक : 116 /परीक्षा/2021 जबलपुर, दिनाँक– 20 /07/2021

म0प्र0 उच्च न्यायालय में जूनियर जूडिशियल ट्राँसलेटर के 01 पद (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) की भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष–2021

आवेदन पत्र भेजने की प्रारंभिक तिथि : 01/08/2021
आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि : 31/08/2021
लिखित परीक्षा की दिनांक : **बाद में अधिसूचित की जावेगी।**

जूनियर जूडिशियल ट्राँसलेटर के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पद की संख्या :– 01 (अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित)
*उपरोक्त पद की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।

(दो)– पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमाः–

High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, general conditions of services, conduct, classification, control and appeal) Rules, 2017" की ''अनुसूची–एक'' के ''कॉलम क्र0–5, 6 & 7'' के अनुसार निम्नानुसार हैः–

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक– 01.01.2021 तक
Junior Judicial Translator 9300–34800+ग्रेड पे 3600/–	1. Law Graduate and must possess knowledge of English & Hindi. 2. Knowledge of Computer Application.	18-35 वर्ष

* सातवे वेतनमान के अनुसार पे–मैट्रिक्स **36200–114800** होगा।

(तीन)–आरक्षण संबंधी टीपः–

(1) केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के म.प्र. के मूल निवासी ही आवेदन पत्र करने के पात्र होगें।

(चार)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :–

(1) उक्त पद हेतु अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो–

(क) उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
(ख) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
(ग) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
(घ) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
(ङ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) केन्द्र या राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता किसी भी प्रक्रम पर समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षा में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, म0प्र0 उच्च न्यायालय को होगा।

(8) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है, या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) संलग्न नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) **आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें,** आवेदन भरे जाने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य परीक्षा सेल द्वारा नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि श्रेणी/जन्मतिथि/विकलांगता/लिंग एवं आपराधिक प्रकरण, आदि के संबंध में की गई त्रुटि के संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी।

(पांच)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
9. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।
10. यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, या परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य वस्तु, या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या टेबल या अन्य उम्मीदवारों की उत्तर–पुस्तिका में झाँकना इत्यादि।
11. परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं इन निर्देशों

का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई करेगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है।

12. अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

खण्ड "ब"

(क)– आवेदन–शुल्क :–

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।

नोटः— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

खण्ड–''स''

(क)–परीक्षा की योजना :–

Junior Judicial Translator की भर्ती प्रक्रिया केवल एक (01) चरण में सम्पन्न की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा (100 अंक की) होगी।

योग्य अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उन्हें निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र शैक्षणिक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट या उचित माध्यम से जमा कराना होगा।

आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ जिसके लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। अभ्यर्थी ध्यान दें अपने दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में नहीं भेजने/केवल आवेदन पत्र भेजने/अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन अथवा ई0मेल पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(ख)–प्रवेश पत्र :– लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना

होगा। प्रिंटआउट की सुविधा लिखित परीक्षा तिथि के लगभग 05 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है।

(ग)–परीक्षा केन्द्र

1. उक्त पद की लिखित परीक्षा म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर परिसर में आयोजित की जायेगी, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में उक्त परीक्षा जबलपुर में स्थित किसी कॉलेज या संस्थान में आयोजित की जा सकेगी, किन्ही परिस्थितियों में लिखित परीक्षा के केन्द्र जबलपुर के अलावा अन्य जिले भी हो सकते है। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. परीक्षा के तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित (अपलोड) की जावेगी। यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा सत्र (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना भी म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

3 लिखित परीक्षा दिवस में सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति लेकर आना अनिवार्य है।

(घ)–लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Post	Subject	Marks	Time
Junior Judicial Translator	Translation (Hindi to English).	40	02.00 Hrs.
	Translation (English to Hindi)	20	
	Vocabulary, Maxims, Legal terminology, Proverbs, Quotations.	20	
	Computer Typing/ Operation Knowledge	20	

(छः) – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी ।

(3) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो उसकी सूचना परीक्षार्थी को परीक्षा/साक्षात्कार के पूर्व परीक्षा सेल को देना होगी।

(4) परीक्षार्थी लिखित परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(सात)–: लिखित परीक्षा का परिणाम :–

लिखित परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। परीक्षा में 45 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। समान अंक होने की दशा में ऐसा अभ्यर्थी जो आयु में अधिक है, को वरीयता दी जावेगी। अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई लिपिकीय/अन्य त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

(आठ)–मार्कशीट/स्कोर कार्ड:–

अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रकाशित किये जावेंगें।

टीप:–1.लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(नौ)– प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :–

प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6–07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक–14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(दस)–नियुक्ति संबंधी टीप:–

(1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(ग्यारह)–यात्रा व्यय का भुगतान–

परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है, अतः लिखित परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बारह):–शुद्धिपत्र:–

उक्त रिक्त पद की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन "शुद्धिपत्र" के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(तेरह):– सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:–

अंतिम परिणाम जारी होने के बाद सूचना के अधिकार के तहत लिखित परीक्षा की उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी नियमानुसार शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता है।

(चौदह)–विनष्टीकरण:–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 06 माह बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

(पंद्रह)–कोविड–19 महामारी से संबंधित निर्देश :–

लिखित परीक्षा, पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड–19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

रजिस्ट्रार जनरल

**** ****

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

उच्च न्यायालय में जूनियर ज्यूडिशिल ट्रॉंसलेटर (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) के 01 पद की भर्ती वर्ष–2021 हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो यहाँ चिपकाये

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु (इसे अभ्यर्थी न भरें)–

आवेदन क्रमांक– .... नाम–..

जन्मतिथि	
विधि स्नातक का प्रमाण पत्र	
Knowledge of English & Hindi (As per Rule 2017, *"must possess knowledge of English & Hindi"*)	
Knowledge of Computer Application	
जाति प्रमाण पत्र (एस0डी0एम0)	
निवास प्रमाण पत्र (तहसीलदार)	
शासकीय कर्मचारी होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र	
चयन हेतु पात्रता (हाँ अथवा नहीं लिखें)	
रिमार्क	
जांच करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	

आवेदन पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा जावे)

(कृपया नाम/पिता का नाम/माता का नाम अंग्रेजी के Block Letters में लिखे)

1. आवेदक का नाम–

2. पिता/पति का नाम –

3 माता का नाम –

4. लिंग/ Gender (सही खाने में (√) निशान लगाएं) पुरूष/Male ☐ स्त्री/Female ☐

5. जन्म दिनाँक – .... (आयु की गणना)

दि0– 01/01/2021 को आयु ....वर्ष.................माह............दिन

6. क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

7. क्या आप दिव्यांग हैं? (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

8. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

9. क्या आप विवाहित हैं? (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

यदि हाँ तो, विवाह की तारीख ....

जीवित संतानों के नाम एवं जन्मतिथि ....

....

....

क्या अंतिम बच्चे का प्रसव जुड़वा था (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

10.क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं? (हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

यदि हाँ तो, क्या आपको आपके विभाग द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हुई है ?

(हाँ या नहीं में उत्तर दें) ....

आपके कार्यालय का नाम व पता ....

....

कार्यकाल की अवधि दिनांक .... से दिनाँक .... तक

11. स्थाई पता / Permanent Address ....

(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....

....

जिला–..............................पिनकोड..............................

12. पत्राचार का पता / Correspondence Address ....

(जिला, प्रदेश एवं पिनकोड सहित) ....

....

जिला–..............................पिनकोड..............................

13.मोबाईल / फोन नम्बर – ....

14. E-mail Address – ....

15.शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विवि	वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	टीप यदि कोई हो
1	विधि स्नातक का प्रमाण पत्र				
2	हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान				
3	कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान				
4	अन्य कोई योग्यता / अनुभव				

16. क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये है ? और/अथवा किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये गये हैं अथवा आपके विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला लंबित है ? यदि हां, तो मामले का विवरण देते हुए निर्णय अथवा अंतिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें–

स0क्र0	अपराध क्रमांक व वर्ष	दिनांक	थाने का नाम	धारा	निर्णय का विवरण/लंबित	दिनांक

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है :– अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज/प्रमाण पत्र के सामने (√) अथवा संलग्न नहीं किये गये तो (X) का निशान लगाएं –

क्र0	विवरण	पृष्ठ क्रमांक	
		से	तक
1.	जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल की अंक सूची अथवा प्रमाणपत्र		
2.	जाति प्रमाण पत्र अजजा हेतु (सक्षम अधिकारी का)		
3.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी का)		
4.	सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल शासकीय कर्मचारियों हेतु)		
5.	शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्र (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की छायाप्रति संलग्न करें)		
6.	दाण्डिक प्रकरण के निर्णय अथवा अंतिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि (यदि लागू हो)		
7.	अन्य प्रमाण पत्र (यदि हों)		

स्थान /Place :..............................
दिनांक/Date : ....

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Candidate

घोषणा :– मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने परीक्षा से सबंधित सभी नियमों एवं विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही व संपूर्ण है। यदि मेरा आवेदन विज्ञापन की शर्तो के अनुरूप निर्धारित समय में नहीं पहुँचता है अथवा किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा अपूर्ण पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाकर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है अथवा मुझे पद से हटाया जा सकता है।

स्थान /Place : ....
दिनांक/Date : ....

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम
Signature of Candidate

Name - ....

नोट– फार्म को पूरा भरकर तथा दस्तावेजों को संलग्न कर बंद लिफाफे में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए दिनांक–31.08.2021 तक डाक द्वारा /उचित माध्यम से प्रेषित करना आवश्यक है। यदि आवेदन पत्र By Hand जमा करना हो तो आवक शाखा, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर में जमा होगा।